आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026 · Department of Women Welfare, Uttar Pradesh

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग की यह योजना पति की मौत के बाद बेसहारा हुई महिलाओं को हर महीने पेंशन देती है।

क्या मिल सकता है

योजना में मंज़ूर हर महिला को हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं। सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाता है और पैसा PFMS से बैंक खाते में भेजा जाता है।

किसके लिए है

उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से रहने वाली विधवा महिलाएं, जिनके परिवार की आमदनी कम है।

मुख्य शर्तें

- महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो।
- महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
- महिला और उसके परिवार की सभी साधनों से सालाना आमदनी 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
- उसे राज्य या केंद्र सरकार की किसी दूसरी योजना से पेंशन नहीं मिल रही हो।

दस्तावेज़

- आवेदिका का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- आमदनी का प्रमाण

आवेदन कैसे करें

1. पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर निराश्रित महिला पेंशन के लिए पहली बार ऑनलाइन आवेदन चुनें।
2. अपना फोटो, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासबुक की कॉपी और आमदनी का प्रमाण अपलोड करके फॉर्म जमा करें।
3. आवेदन की जांच 45 दिन में होती है, फिर खंड विकास अधिकारी या उपजिलाधिकारी (15 दिन) और जिला स्वीकृति समिति (1 महीना) फैसला करती है।
4. मंज़ूरी के बाद लगभग एक महीने में पैसा PFMS से बैंक खाते में भेजा जाता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://mahilakalyan.up.nic.in/OurProgram.aspx
आधिकारिक आवेदन: https://sspy-up.gov.in/oap/public_new/UserRegistrationForm.aspx?Scheme=WidowPension
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttar-pradesh/up-destitute-women-pension/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।